राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान सं. (CIN)–U40102RJ2000 SG016484
रजि. एवं पंजीकृत मुख्यालय–विद्युत भवन जनपथ ज्योति नगर–जयपुर 302005
कार्यालय संयुक्त निदेशक कार्मिक
छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना
प्रशासनिक भवन, शक्ति परिसर चौकी मोतीपुरा, तह. छबड़ा जिला बांरा– 325220
Website :- energy.rajasthan.gov.in/rvunl Email :- jdp.ctpp@rrvun.com

क्रमांकः रा.रा.वि.उ.नि./सी.टी.पी.पी./जेडीपी/एफ./ प्रे. दिनांक / /2020

विज्ञप्ति

इच्छुक एवं अनुभवी आवेदकों से निम्नलिखित व्यवसाय हेतु प्रमाणित मासिक अनुज्ञा शुल्क पर जो कि विभाग द्वारा अनुमोदित है, छबड़ा तापीय विद्युत गृह के आवासीय कालोनी में स्थित शापिंग सेन्टर के दुकानो का आवंटन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.10. 2020 सायं 3.00 बजे तक संयुक्त निदेशक कार्मिक, छबड़ा तापीय विद्युत गृह, रा.वि.उ.नि., छबड़ा के कार्यालय मे आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित आवेदन पत्र इस कार्यालय से 200/– रूपये + अतिरिक्त GST निर्धारित शुल्क संयुक्त निदेशक कार्मिक, (सी.टी.पी.पी.), रा.वि.उ.नि. छबड़ा के कार्यालय से अनुशंसा पश्चात लेखाधिकारी (सी.टी.पी.पी.), रा.वि.उ. नि. छबड़ा के कार्यालय में जमा करके प्राप्त किए जा सकते हे। दुकानों का आवंटन विभागीय चयन समिति द्वारा संदर्भित अनुभव व योग्यता के आधार पर किया जाऐगा एंव ऐसे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के आवेदन को विचारित नहीं किया जायेगा जिन्हें या जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पूर्व में दुकान का आवंटन किया जा चुका है। आवेदन पत्र के साथ रू. 5,000/– धरोहर राशि नकद या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, जो कि लेखाधिकारी (सी.टी. पी.पी.), रा.वि.उ.नि. छबड़ा के नाम देय हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है, जिसे दुकान आवंटन करने के बाद सचिंत निधि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं असफल आवेदकों को चयन समिति के निर्णय के बाद उक्त धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। बिना धरोहर राशि एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अतिरिक्त आवेदन मान्य नही होंगे।

क्रम सख्या	दुकान का नाम	दुकान संख्या
1	लेडिज गारमेन्ट, पार्लर एंव कॉस्मेटिस	2
2	गिफ्ट, यूटेनसिल्स एंव प्लास्टिस आईटम	3
3	सब्जी, फल एंव ज्यूस	6
4	जनरल स्टोर एंव फुटवियर	7

संयुक्त निदेशक कार्मिक
छबड़ा तापीय विद्युत गृह,
रा.वि.उ.नि., छबड़ा

वेबसाइट के लिए

छबड़ा तापीय विद्युत गृह की आवासीय कालोनीं में स्थित शांपिग सेन्टर काम्पलेक्स में 4 दुकान आवंटित करने के लिए नियम व शर्ते निम्न प्रकार से है।

1. आवेदन पत्र के साथ रू. 5,000/– धरोहर राशि नकद या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट, जो कि लेखाधिकारी (सी.टी.पी.पी.), रा.वि.उ.नि. छबड़ा के नाम देय हो, संलग्न करना अत्यावश्यक है, जिसे दुकान आवंटन करने के बाद सचिंत निधि में समायोजित कर लिया जायगा एवं असफल आवेदकों को चयन समिति के निर्णय के बाद उक्त धरोहर राशि लोटा दी जाएगी। बिना धरोहर राशि एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र के अतिरिक्त आवेदन मान्य नही होंगे।
2. सफल आवेदक को धरोहर राशि के अतिरिक्त रू. 15000/– लेखाधिकारी सी.टी.पी.पी कार्यालय में नकद प्रतिभूति राशि के रूप में दुकान का कब्जा लेने से पूर्व जमा कराने होगें।
3. नजदीक के गांवो के ऐसे प्रभावित व्यक्तियो जिनकी कृषि भूमि छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में अधिगृहित की गई थी, को उनके योग्यता का मूल्यांकन करते हुये योग्यता संतोषजनक होने पर चयन कमेटी द्वारा प्राथमिकता दी जा सकती है परन्तु ऐसे परिवार के एक व्यक्ति को ही आवंटन किया जायेगा यदि पूर्व में आवंटन किया जा चुका है तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के आवेदन विचारणीय नहीं होगें।
4. पहली बार दुकान आवंटन 11 माह की किराया पर किया जा रहा है। यह अवधि समाप्त होने पर पुनः प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आगे 11 माह के लिए नवीनीकरण 5% किराया राशि मे वृद्वि करते हुए किया जा सकता है।
5. एक बार अनुबंध होने के बाद बदला नहीं जावेगा। केवल आवंटी की मृत्यु, दिवालिया घोषित होने पर आवंटन निरस्त माना जावेगा।
6. दुकान जिस व्यवसाय हेतु दी जा रही है केवल वही व्यवसाय किया जावेगा।
7. पूरी दुकान अथवा उसका कोई भाग आगे किराये पर नही दिया जा सकेगा। ऐसा होने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
8. दुकान में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
9. दुकानों की छत, सामने का बरामदा एवं खुली जगह पर आवंटी का कोई हक नहीं होगा।
10. आवंटी को कानूनी रूप में किरायेदारी को कोई हक नहीं होगा।
11. आंवटन पूर्ण अस्थाई रूप में किराया राशि पर किया जा रहा है। निर्धारित किराया राशि प्रत्येक माह कि अग्रिम 10 तारीख तक जमा कराना होगा। किराया राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा लेखाधिकारी, राराविउनि छबड़ा के नाम से कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी।
12. आवंटी को बाजार के सामानान्तर किस्म की वस्तुयें समानुपाती दरों पर उपलब्ध करानी होगी जो कि निगम द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा समय–समय पर परीक्षित की जावेगी और जो भी अनियमिततायें इंगित करेगी उन्हे तुरन्त प्रभाव से सुधारना होगा

अन्यथा निरीक्षण समिति की सिफारिश पर उक्त आवंटी का आवटंन निरस्त कर दिया जावेगा।

13. आवंटी को दी गई दुकान अपने निवास के रूप में उपयोग नही कर सकेगा।
14. आवंटी को अपनी दुकान स्वच्छ एवं सुचारू रूप से रखने के लिये सभी प्रकार की सुविधायें एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा।
15. आवंटी आवश्यकतानुसार अपने स्वयं के नाम एवं व्यय पर विधुत कनेक्शन ले सकेगा।
16. आवंटी को गृहकर, नगरपालिका कर, बिक्री कर विधुत व्यय एवं यदि कोई भी प्रकार का कर हो, स्वयं वहन करना होगा।
17. आवंटी इस दुकान का प्रयोग किसी भी विधि विरूद्ध कार्य हेतु नही कर सकेगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
18. आवंटी को आवंटन पत्र के जारी होने के बाद दुकान का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व 500 रू मूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
19. लेडिज गारमेन्ट, पार्लर एंव कॉस्मेटिस की दुकान हेतु दुकान न. 2 को केवल महिला आवेदको को ही देय होगी अतः दुकान न. 2 के लिये केवल महिलाऐं ही आवेदन करें।
20. निम्न व्यवसाय के लिए 5,00,000/— रू की वित्तिय सामर्थयता आवश्यक है।

क्रम सख्या	**दुकान का नाम**	**दुकान संख्या**
1	लेडिज गारमेन्ट, पार्लर एंव कॉस्मेटिस	2
2	गिफ्ट, यूटेनसिल्स एंव प्लास्टिस आईटम	3
3	सब्जी, फल एंव ज्यूस	6
4	जनरल स्टोर एंव फुटवियर	7

संयुक्त निदेशक कार्मिक
छबड़ा तापीय विद्युत गृह,
रा.वि.उ.नि., छबड़ा